न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –82/2016 जिला सीकर

इन्द्र लाल दत्तक पुत्र सुरजाराम, जाति जाट, निवासी कसवाली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. गिरधारी लाल दत्तक पुत्र दौलाराम, जाति जाट, निवासी करसवाली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राजस्थान)
2. ग्राम पंचायत रहनावा, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राज.) जरिये सरपंच
3. सचिव, ग्राम पंचायत रहनावा, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राज.)
4. टोडाराम पुत्र श्री रामूराम, जाति जाट, निवासी रहनावा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राज.)
5. राजेन्द्र पुत्र श्री भगवान सिंह, जाति जाट, निवासी पीपली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर 28.5.2014

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजाराम चौधरी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक –13.12.2017

चित्रा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 28.5.2014 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम कसवाली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 1.28, 44/2 रकबा 3.81, 67 रकबा 0.43, 71 रकबा 3.74, 89 रकबा 1.91, 113 रकबा 2.63 कुल रकबा 13.80 हैक्टेयर में से प्रत्येक 1/4 हिस्से के खातेदार सुरजाराम, लिखमाराम, चूनाराम, दोलाराम थे जिनका देहान्त हो चुका है, में से सुरजाराम की विरासत का नामांतरकरण संख्या 95 पटवारी हल्का द्वारा इन्द्रलाल पि.मु. सुरजा के नाम भरा गया जिसे ग्राम पंचायत रहनावा द्वारा दिनांक 25.11.1972 को स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर गिरधारी लाल पुत्र स्व. सुरजाराम रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.5.2014 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 95 दिनांक 25.11.72 निरस्त किया गया तथा प्रकरण उभय पक्षों की सुनवाई व पूर्ण जॉच कर उक्त नामांतरकरण का विधि अनुसार निर्णय करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को रिमाण्ड किया गया। उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट इन्द्रलाल दत्तक पुत्र सुरजाराम द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ दिनांक 28.5.2014 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार मृतक सुरजाराम के दो पुत्र गिरधारी लाल व रामचन्द्र थे जिनमें से रामचन्द्र कुंवारा ही फौत हो गया था तथा सुरजाराम की पत्नी फूली देवी भी फौत हो गई थी । गिरधारी लाल दोलाराम के गोद चला गया था एवं दोलाराम की विरासत गिरधारी लाल के नाम दर्ज हो गई थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में गिरधारी लाल ने पिता का नाम सुरजाराम अंकित किया है। विद्युत सम्बन्ध गिरधारी लाल पुत्र दोलाराम के नाम से है । गिरधारीलाल, दोलाराम के गोद चले जाने एवं दोलाराम की विरासत गिरधारी लाल के नाम आने के पश्चात् गिरधारी लाल का मृतक सुरजाराम की भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं रहता । उनका कहना था कि मृतक सुरजाराम की पत्नी फुलकी द्वारा उद्घोषणा एवं शाश्वत बाबत एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88/91/89/188 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर शेखावाटी , जिला सीकर में प्रस्तुत किया था जो दिनांक 5.6.2003 को अदम पैरवी मे खारिज हो गया था । इस प्रकार गिरधारी लाल द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों पर दावा खारिज होने के पश्चात् उन्हीं तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि मृतक सुरजाराम की विरासत के संबंध में ग्रम पंचायत द्वारा वास्तविक व सही तथ्यों के आधार पर जॅाच की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया है, जो पूर्णत विधि अनुकूल है , जिसे अपीलाधीन आदेश से निरस्त किया जाना , त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध है । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को नहीं दिये जाने से समय पर अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नही हो सका । तहसीलदार से अपीलार्थी को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की है । अतः न्याय हित में विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट इन्द्रलाल को सुरजाराम द्वारा कभी भी गोद नहीं लिया था ओर कानूनन बिना गोदनामा के नामांतरकरण नहीं खोला जा सकता । प्रश्नगत नामांतरकरण बिना गोदनामें के ग्रम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया है जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोंडेन्ट गिरधारी लाल जो कि मृतक खातेदार सुरजाराम का जायन्दा पुत्र है, को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं दिया तथा न ही विधिक वारिसान की जॅाच की गई । मृतक खातेदार सुरजाराम के फौत होने के समय उसकी पत्नी फूली देवी जीवित थी , जो सुरजाराम की विधिक उत्तराधिकारी थी ,लेकिन ग्रम पंचायत ने उसको भी नजरन्दाज कर दिया । उनका कहना था कि अपीलान्ट इन्द्रलाल रेस्पोंडेन्ट गिरधारी लाल का जायन्दा पुत्र है जो इन्द्रलाल की टी.सी., वोटरलिस्ट 1998 एवं 1993, मूल निवास प्रमाण पत्र 17.2.89, चरित्र प्रमाण पत्र 8.7.89, प्रस्ताव ग्रम पंचायत रहनावा दिनांक 24.3.96, प्रार्थना पत्र फूली देवी दिनांक 21.6.96, वंशावली प्रमाण पत्र सरपंच गोरधन ग्रम पंचायत रहनावा एवं इन्द्रलाल के पासपोर्ट संख्या एच. 4676336, आदेश विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ दिनांक 19.1.2012 , प्रार्थना पत्र ग्रम सेवक वर्तमान रहनावा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ दिनांक 16.2.12 से प्रमाणित होता है । ग्रम

पंचायत द्वारा उपरोक्त सभी दस्तावेजात को नजरन्दाज करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक करने में कानूनी भूल की है । उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर अपीलान्ट इन्द्रलाल को रेस्पोंडेन्ट गिरधारी लाल का जायन्दा पुत्र मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है ,जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः प्रकरण में तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा उभयपक्षों को सुना जाकर व पूर्ण जॉच कर नामांतरकरण तस्दीक किया जावेगा , ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार सुरजाराम की विरासत का है । गग्राम पंचायत ने मृतक खातेदार सुरजाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट इन्द्रलाल दत्तक पुत्र सुरजाराम के नाम तस्दीक किया है जबकि रेस्पोंडेन्ट गिरधारी लाल मृतक खातेदार सुरजाराम का जायन्दा पुत्र होने से सुरजाराम की भूमि मे हक चाहता है एवं अपीलान्ट इन्द्रलाल रेस्पोंडेन्ट गिरधारी लाल का जायन्दा पुत्र है । रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात पासपोर्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र, पंचायत समिति/ गग्रम पंचायत के नोटिस, पत्राचार, टी.सी. वारिस प्रमाण पत्र सरपंच, गग्रम पंचायत रहनावा, मतदाता सूची आदि में अपीलान्ट इन्द्रलाल के पिता का नाम गिरधारी दर्ज है तथा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ में पुलिस अनुसंधान के बाद प्रस्तुत चार्जशीट में भी अपीलान्ट इन्द्रलाल के पिता का नाम गिरधारी अंकित है जबकि अपील में अपीलान्ट इन्द्रलाल के पिता का नाम सुरजाराम बताया गया है । उक्त दस्तावेजात से इन्द्रलाल मृतक खातेदार सुरजाराम का वारिस होना प्रतीत नहीं होता । इस संबंध में न तो कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है न ही अन्य कोई साक्ष्य आई है जिससे यह प्रकट हो कि इन्द्रलाल स्व. सुरजाराम का पुत्र हो । पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार दौला की विरासत गिरधारी के नाम दर्ज की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में गिरधारी के पिता का नाम सुरजाराम अंकित किया है । गिरधारी पुत्र दौलाराम के नाम से विद्युत संबंध होने संबंधी दस्तावेजात की प्रतियॅा प्रस्तुत की हुई है । मृतक खातेदार सुरजाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण गग्रम पंचायत द्वारा बिना वारिसान की जॅाच किये व विधिक वारिसान को बिना सुने तस्दीक किया है जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.5.2014 द्वारा स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 95 दिनांक 25.11.72 को निरस्त करते हुये प्रकरण उभयपक्षों की सुनवाई व पूर्ण जॅाच कर उक्त नामांतरकरण का विधि अनुसार निर्णय करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई व पूर्ण जॅाच कर नामांतरकरण विधि अनुसार निस्तारित करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित एवं विधिसम्यक है जिसमें हम कोई परिवर्तन किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर